न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 49 / 2019 राजस्व अपील

1. रामप्रसाद पुत्र गल्लाराम
2. रामवतार पुत्र गल्लाराम } जाति गुर्जर निवासी फर्राशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 28.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामप्रसाद आदि प्रकरण सं. 205 / 2018 अ. धारा 91 राज. लै. रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांकः 06.09.2019

—: निर्णय :—

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा में अपीलान्ट्स के विरूद्व एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट्स नें सम्वत 2075 में ग्राम फर्राशपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 5 रकबा 0.25 है0 किस्म गै. मु. नला पर बाजरा बुवाई कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये ही अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 28.08.2018 को बेदखल कर शास्ति कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट्स ने किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट्स ने उक्त भूमि पर बाजरे की फसल की बुवाई नहीं की है। उक्त भूमि खाली है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 5 रकबा 0.25 है. किस्म गै. मु. नला पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.08.2018 में से तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम फर्राशपुरा तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 5 रकबा 0.25 है. किस्म गै0मु0 नला पर बाजरे की बुवाई कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमियो को अतिकमित आराजी से दिनांक 28.08.2018 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रो का अवलोकन करने पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 5 रकबा 0.25 है. किस्म गै0मु0 नला पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official